	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 14, गुरूवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 5, 2019 *Agrahayana 14, Thursday, Saka 1941–December 5, 2019*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवंबर 27, 2019

संख्या प.2(44)विधि/2/2015.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवंबर, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2019 का अधिनियम संख्यांक 25)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवंबर, 2019 को प्राप्त हुई)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम सं. 23), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) "गोवंशीय पशु" से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल किन्तु इसमें भैंस और उसकी नस्ल सम्मिलित नहीं है;"।

3. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 में नयी धारा 6-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के पश्चात् और विद्यमान धारा 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"6-क. प्रवहण के साधन का अधिहरण.- (1) जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहीत किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिए चाहे अभियोजन संस्थित किया जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर, जहां प्रवहण का उक्त साधन अभिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश कर सकेगा:

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व, प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे:

परन्तु यह भी कि इस उप-धारा के अधीन अधिहरण का आदेश करने के पूर्व, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नहीं दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोकहित में या उसके स्वामी के फायदे के लिए यह समीचीन है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहीत,

उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निदेश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन है।"।

4. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 में नयी धारा 12-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 12 के पश्चात् और विद्यमान धारा 13 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"12-क. गिरफ्तारी और अभिग्रहण की शक्ति.- सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति-

(i) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करवा सकेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा;

(ii) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लिये जा रहे प्रवहण के किसी भी साधन का अभिग्रहण कर सकेगा या करवा सकेगा और अभिग्रहण की रिपोर्ट, अनावश्यक विलम्ब के बिना, सक्षम प्राधिकारी को करेगा या करवायेगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, November 27, 2019

No. F. 2 (44) Vidhi/2/2015.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Go-Vanshiya Pashu (Vadh Ka Pratished Aur Asthayee Pravrajan Ya Niryat Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 25):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN BOVINE ANIMAL (PROHIBITION OF SLAUGHTER AND REGULATION OF TEMPORARY MIGRATION OR EXPORT) (AMENDMENT) ACT, 2018
(Act No. 25 of 2019)

(Received the assent of the President on the 15th day of November, 2019)

An
Act

to amend the Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 23 of 1995.- For the existing clause (b) of section 2 of the Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995 (Act No. 23 of 1995), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(b) "bovine animal" means cow, calf, heifer, bull or bullock but does not include buffalo and its progeny;".

3. Insertion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995.- After the existing section 6 and before the existing section 7 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**6-A. Confiscation of the means of conveyance**.- (1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.

(2) Where any means of conveyance referred to in sub-section (1) is seized in connection with the commission of any offence punishable under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Competent Authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the Competent Authority, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said means of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Competent Authority that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Competent Authority may not confiscate the said means of conveyance:

Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, no order of confiscation of such means of conveyance shall be passed by the Competent Authority and the matter shall be referred to the State Government by the Competent Authority for making such orders regarding means of conveyance as the State Government may deem fit:

Provided also that before ordering confiscation under this sub-section, the owner of the means of conveyance referred to in sub-section (1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance:

Provided also that an owner of a means of conveyance shall not be given option under the preceding proviso, if he had been given option under that proviso at an earlier occasion.

(3) Whenever any means of conveyance as referred to in sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Competent Authority shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal or release of such means of conveyance.

(4) Where the Competent Authority is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance, as referred to in sub-section (1), seized for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold.

(5) Any order of confiscation made by the Competent Authority shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.".

4. Insertion of new section 12-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995.- After the existing section 12 and before the existing section 13 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :-

"**12-A. Power of arrest and seizure**.- The Competent Authority or any person authorized in writing in that behalf by the Competent Authority may -

(i) arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits an offence punishable under this Act and, without unnecessary delay, shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer who shall proceed against such person as per law;

(ii) seize or cause to be seized any means of conveyance being used in commission of an offence publishable under this Act and, without unnecessary delay, shall make or cause to be made a report of seizure to the Competent Authority.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.